संख्या–904 / 49–3–2018 / 100(10) / 2018.

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक :02 ~~अप्रैल~~ मई, 2018.

विषय : प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के किसानों के हित के लिए 'सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण'' योजना अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति(पैक्स) के माध्यम से कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु '' ब्याज अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–35 / लेखा–अ, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के किसानों के हित के लिए सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 20000.00 लाख (रूपये दो अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त ब्याज अनुदान के उपयोग आदि के सम्बन्ध में समस्त शर्तें सहकारिता अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–3309 / 49–1–2006–500(454) / 2006, दिनांक 07.12. 2006 एवं शासनादेश संख्या–1006 / 49–1–2011–500(454) / 2006, दिनांक 20.07.2011 तथा शासनादेश संख्या–1293 / 49–1–2013–500(454) / 2006, दिनांक 27.06.2013 के अनुसार ही रहेंगी।

3– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–18 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''2425–सहकारिता–107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता–10–प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4– उक्त वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2018 / बी–1–375 / दस–2018–231 / 2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2018 / बी–1–375 / दस–2018–231 / 2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित दिशा निर्देशों / व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

..............2/

DKJ-pg.no.157.

<u>पृष्ठांकन 904/49–3–2018/, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी,)–प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरिटव बैंक लि0, लखनऊ।
8– वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।

DKJ-pg.no.158